कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान–बीकानेर

–:कार्यालय आदेश:–

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2015 में रेणु महावर जन्मतिथि 27.07.1983 रोल नम्बर 107807 वर्ग GE,WE चयन वर्ग GENF मेरिट नम्बर 1382 पर चयनोपरांत नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–राजनीति विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 13.06.17 द्वारा अभ्यर्थी को राउमावि कुँआ, डूंगरपुर में पदस्थापित किया गया था, जिसकी पालना में अभ्यर्थिया रेणु महावर द्वारा दिनांक 09.07.17 को उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया गया था।

यह है कि उक्त श्रीमती रेणु महावर प्राध्यापक राजनीति विज्ञान राउमावि कुँआ, डूंगरपुर जो कि दिनांक 25.08.18 से आज दिनांक तक निरंतर बिना सूचना स्वैच्छा से कार्यालय/विद्यालय से अनुपस्थित चल रही है।

श्रीमती रेणु महावर आज दिनांक तक कार्यालय/विद्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण राजस्थान सेवा नियम 86(4) के तहत विद्यालय में उपस्थिति व स्पष्टिकरण देने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 25.10.19, 05.05.20 व 29.09.20 को आर.एस.आर. 86 के तहत नोटिस जारी किये गये। जिसके क्रम में इस कार्यालय के द्वारा भी दिनांक 13.06.19, 25.06.20, 27.07.20 व 13.08.20 प्रकरण में कार्यवाही की गई। तत्पश्चात कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, डूंगरपुर के माध्यम से श्रीमती रेणु महावर को आर.एस.आर. 86(4) के तहत अन्तिम नोटिस का प्रकाशन अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग राजस्थान–जयपुर के माध्यम से अजमेर के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में दिनांक 16.10.20 को प्रकाशन करवाया गया। उक्त नोटिस एवम् कार्यवाही पश्चात भी श्रीमती रेणु महावर आज दिनांक तक न तो कार्यालय/विद्यालय में उपस्थित हुई एवम् न ही कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच पश्चात पाया कि श्रीमती रेणु महावर राजकीय सेवा करने की इच्छुक नहीं है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय व अन्य बनाम मन्सूर अली खान (2000) SSC 629 में यह अवधारित किया गया है कि "if a person is absent beyond the prescribed period for which leave of any kind can be granted, he should be treated to have resigned and ceased to be in service, In such a case, there is no need to hold an enquiry or to give any notice as it would count to useless formalities."

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 396/02 त्रिभुवन वल्लभ बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2003 द्वारा लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को उचित नहीं माना गया है एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं बताई है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती रेणु महावर के दिनांक 25.08.18 से निरंतर स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के मद्देनजर राजस्थान सेवा नियम 86(4) एवं वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.01.17 के अनुसार 01 वर्ष से अधिक का स्वैच्छिक अनुपस्थिति का प्रकरण होने के कारण सेवा–परित्याग मानते हुए **(DEEMED TO HAVE RESIGNED)** श्रीमती रेणु महावर व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) राउमावि कुँआ, डूंगरपुर को राज्य सेवा से एतदद्वारा निष्कासित **(REMOVAL FROM SERVICE)** किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्वैच्छि.अनु./2019/116 दिनांक:–24/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक..........।
3 संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि कुँआ, डूंगरपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
5 अनुभाग अधिकारी, विभागीय जांच/प्राथमिक जांच।
6 अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता एवं नियम/गोपनीय प्रतिवेदन/ओएसी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती रेणु महावर के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती 2015 मेरिट नम्बर 1343 (पुरानी मेरिट 1382) की विलोपन की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें।
7 कार्मिक श्रीमती रेणु महावर।
8 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर